प्रेस नोट- मॉनीटरिंग सेल
जनपद शाहजहाँपुर
दिनांक 13.12.2025

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस का सफलतम प्रयास

धारा 302 भादवि व 25 आयुध अधिनियम के 01 आरोपी को आजीवन कारावास एवं कुल 11000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेशानुसार जनपद में जघन्य अपराधों को कडी सजा से दण्डित करवाये जाने हेतु चलाये जा रहें ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, बरेली जोन बरेली व श्री अजय कुमार साहनी पुलिस महानिरीक्षक महोदय, बरेली परिक्षेत्र बरेली के निर्देशानुसार श्री राजेश द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के कुशल निर्देशन में, श्री देवेन्द्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर व श्री प्रयांक जैन, क्षेत्राधिकारी सदर/पार्टी प्रभारी के कुशल पर्य़वेक्षण में अपराधियों को शीघ्र एवं कठोर सजा दिलाने में शाहजहाँपुर पुलिस को बडी सफलता प्राप्त हुई।

इस क्रम में मॉनीटरिंग सेल व थाना रामचन्द्र मिशन पुलिस तथा अभियोजन विभाग द्वारा समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से माननीय न्यायालय एएसजे 06 में साक्षियों को साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के उपरान्त थाना रामचन्द्र मिशन में आरोपी गोपी पुत्र रामकिशन नि0मो0 गढी गाढीपुरा थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर द्वारा वादिनी के पुत्र को जान से मारने की नीयत से तमन्चे से हमला कर देना जिससे बाद में वादिनी के पुत्र की मृत्यु हो जाने के आरोप में आजीवन कारावास एवं 11 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

सजा प्राप्त किये अभियुक्त का विवरण

गोपी पुत्र रामकिशन नि0मो0 गढी गाढीपुरा थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर।

घटना व सजा का विवरण

मु0अ0सं0 118/2022 धारा 302 भादवि व मु0अ0सं0 120/2022 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर में आरोपी गोपी पुत्र रामकिशन नि0मो0 गढी गाढीपुरा थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर द्वारा वादिनी के पुत्र को जान से मारने की नीयत से तमन्चे से हमला कर देना जिससे बाद में वादिनी के पुत्र की मृत्यु हो जाने के आरोप में आजीवन कारावास एवं 11 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।